29/8/19 आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थिगण की ओर से
द्वारा पत्रावली आज अग्रिम जमानत पर सुनवाई
बहस की जा चुकी है। ही निर्णय हेतु पत्रावली को
कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः आदेश आज ही
ही सरल रूप कर अग्रिम जमानत पर सुनवाई
बहस की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश
विस्तारित किये जाते हैं। फैसला पृथक से ही जारी
न करें। वादी वकील लेकर उपस्थित
रहें। सुनाया गया।

Scanned by CamScanner